

**बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024 **112** पटना, दिनांक-**07/08/26**

**'कार्यालय आदेश'**

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है:-

| क्र0 | Reg.No  | नाम/पदनाम                  | विभाग/कार्यालय का नाम | आवंटित आवास          |
|------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.   | NG16476 | श्री राजीव कुमार,<br>दरवान | बिहार विधान परिषद्    | A7/406,<br>गर्दनीबाग |

- यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मों को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के तहत उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटों पदाधिकारी/कर्मचारी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटों पदाधिकारी/कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटों कर्मों संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया /दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
- पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

| क्र० | आवास का टाईप           | मासिक मानक किराया | मासिक मेंटेनेंस चार्ज | प्रति आवास कुल मासिक कटौती |
|------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.   | ए-टाईप आवास, गर्दनीबाग | ₹275              | ₹564                  | ₹839                       |

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
9. आवास परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली-1986 के नियम-10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम-6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
11. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

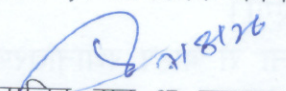
ह०/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-7378/पटना, दिनांक:-07/08/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/संबंधित आवंटी कर्मी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं०-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।